

महन्वर्षा

सं०सं० 3/न्याय-01-13/2015 13 (2)  
बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

जगदीश कुमार,  
विशेष कार्य पदाधिकारी ।

अनौपचारिक  
रूप से परामर्शित

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),  
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना, बिहार ।

पटना, दिनांक : 11/1/18

विषय: डा० सुनील दास गुप्ता, सेवानिवृत्त, क्षेत्रीय मलेरिया पदाधिकारी, भागलपुर के दिनांक 01.06.1997 से 22.07.2001 तक के अवधि को विनियमित करने के संबंध में ।

द्वारा : वित्त विभाग ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि डा० सुनील दास गुप्ता, सेवानिवृत्त, क्षेत्रीय मलेरिया पदाधिकारी, भागलपुर को जवाहर लाल चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, भागलपुर के आँख विभाग में निबंधक के पद पर पदस्थापन के दौरान अधीक्षक चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, भागलपुर के ज्ञापांक 1436 दिनांक 31.05.1997 द्वारा स्वास्थ्य विभाग में योगदान करने हेतु दिनांक 31.05.1997 के अपराहन में पूर्व धारित पद का प्रभार सौंपकर दिनांक 02.06.1997 के पूर्वाहन में स्वास्थ्य विभाग में योगदान कर लिया । स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना संख्या 567(2) दिनांक 16.07.1997 के द्वारा डा० सुनील दास गुप्ता को बाढ़ राहत कार्य हेतु सिविल सर्जन, सहरसा के अधीन योगदान करने का निदेश दिया गया जिसके अनुपालन में उन्होंने दिनांक 23.07.1997 के पूर्वाहन में योगदान दिया ।

सिविल सर्जन, सहरसा ने ज्ञापांक 1596 दिनांक 14.08.1997 द्वारा डा० सुनील दास गुप्ता को रेफरल अस्पताल, चन्द्रायण (सहरसा) में प्रतिनियुक्त कर दिया जिसके आलोक में डा० गुप्ता ने दिनांक 16.08.1997 को रेफरल अस्पताल चन्द्रायण, सहरसा में योगदान दिया ।

डा० सुनील दास गुप्ता को स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना सं० 754(2) दिनांक 30.06.2001 के द्वारा रेफरल अस्पताल चन्द्रायण से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अमरपुर, बॉका में पदस्थापित किया गया । स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना सं० 754(2) दिनांक 30.06.2001 के अनुपालन में सिविल सर्जन, सहरसा ने आदेश ज्ञापांक 1290 दिनांक 23.07.2001 के द्वारा डा० गुप्ता को अपराहन से विरमित करते हुए नवपदस्थापित स्थान (प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अमरपुर, बॉका) में योगदान करने का निदेश दिया । उक्त आदेश के आलोक में डा० गुप्ता ने दिनांक 23.07.2001 को ही सिविल सर्जन, बॉका के यहाँ योगदान समर्पित किया ।

11/1/18

इस प्रकार डा0 सुनील दास गुप्ता दिनांक 01.06.1997 से 22.07.2001 तक प्रभार रहित रहे जिसके लिए वे दोषी नहीं हैं । दिनांक 01.06.1997 से 22.07.2001 तक के प्रभार रहित अवधि को निम्न रूप से विनियमित करने की स्वीकृति दी जाती है:-

(क)	दिनांक 01.06.1997	-	देय अवकाश के रूप में ।
(ख)	दिनांक 02.06.1997 से 15.08.1997 तक	-	पदस्थापन की प्रतीक्षा के रूप में ।
(ग)	दिनांक 16.08.1997 से 22.07.2001 तक	-	कर्तव्य अवधि के रूप में ।

इसमें वित्त विभाग की सहमति एवं प्रधान सचिव, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है ।

विश्वासभाजन

ह0/-

(जगदीश कुमार)

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक : 13 (2)

/स्वा0, पटना, दिनांक : 11/1/18


प्रतिलिपि : सिविल सर्जन, भागलपुर, अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, भागलपुर एवं क्षेत्रीय मलेरिया पदाधिकारी, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, भागलपुर/अवर सचिव, वित्त(वि0दा0नि0को0), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : डा0 सुनील दास गुप्ता, सेवानिवृत्त, क्षेत्रीय मलेरिया पदाधिकारी, भागलपुर, पिता-स्व0 सुरेन्द्र दास गुप्ता, ग्राम/मोहल्ला-लाल कोठी, पो0+थाना-तातारपुर, जिला-भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-2,3,7,10 एवं 18ए को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित ।

  
विशेष कार्य पदाधिकारी